राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2709114 email :cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141–2701822

क्रमांक : 15(31) रा.स्कू.शि.प./जय/सामु.गति./प्रबंधन मद/दिशा निर्देश/2019–20/6427 दिनांक : 4/10/19

दिशा निर्देश
(सत्र 2019–20)

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर एसएमसी /एसडीएमसी सदस्यों के लिए आयोजित किये जाने वाले दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण

प्रस्तावना :–

राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक,उच्च प्राथमिक,माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की साधारण सभा में सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता/अभिभावक, प्रत्येक अध्यापक, कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि सदस्य हैं। समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से 16 सदस्यीय विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं 23 सदस्यीय विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। गठित समितियों के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनमें क्षमता विकास करना आवश्यक है ताकि वे विद्यालय प्रबंधन में अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर सकें। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प.15(1) प्राशि/संस्थापन/2017/जयपुर/दिनांक 07.02.2017 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में (ग्राम पंचायत क्षेत्रों में) पूर्व से प्रचलित नोडल विद्यालय व्यवस्था को समाप्त कर पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी **(PEEO)** को **(CRCF)** के रूप में नामित किया गया है। अतः वर्तमान में **PEEO** द्वारा ही नोडल विद्यालय का दायित्व निभाया जाना है। शहरी क्षेत्र (नगरीय निकाय क्षेत्र) में नोडल व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी। इस हेतु **PEEO**/शहरी नोडल विद्यालय स्तर **(CRCF)** पर विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हैं।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2019-20 में **PEEO**/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों को उनके दायित्वों, आरटीई एक्ट के प्रावधानों, समग्र शिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियों, मिड–डे–मील, बाल अधिकारों, बालसभा, हरित पाठशाला कार्यक्रम, अक्षय पेटिका, एसएमसी/एसडीएमसी 80G रजिस्ट्रेशन, स्वैच्छिक अनुदान, "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम, विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छ भारत मिशन, विद्यालय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र, विद्यालय में संधारित लेखों का सामाजिक अंकेक्षण, आपदा प्रबंधन आदि के बारे मे जानकारी देना, विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना विकसित करना, बालकों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, जैण्डर से सम्बन्धित विषयों पर संवेदनशील करना, विद्यालय स्तर पर योजना निर्माण करना एवं विद्यालय विकास में जनसाधारण की सहभागिता प्राप्त करना आदि शामिल हैं। कार्यकारिणी समिति के ऐसे सदस्य जिन्होंने वर्ष 2018-19 तथा इससे पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नही किया है को प्राथमिकता देते हुए एसएमसी/एसडीएमसी की कार्यकारिणी

Rajteachers.in

समिति के 5 सदस्यों तथा एक जनप्रतिनिधि को शामिल करते हुए प्रत्येक एसएमसी/एसडीएमसी में से 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

1. वर्ष 2019-20 में विद्यालय प्रबंधन समिति/ विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये है:-

(लाख रूपये में)

क्र. स.	गतिविधि	यूनिट कॉस्ट (प्रति व्यक्ति प्रति दिवस)	लक्ष्य 2019-20	
			भौतिक	वित्तीय
1	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर दो दिवसीय एसएमसी गैर आवासीय प्रशिक्षण संभागी × दिन × दर प्रतिदिन 315234 × 2 × 250 = 1576.170 लाख रूपये	0.00250	315234	1576.170
2	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर दो दिवसीय एसडीएमसी गैर आवासीय प्रशिक्षण संभागी × दिन × दर प्रतिदिन 84612 × 2 × 250 = 423.060 लाख रूपये	0.00250	84612	423.060

2. **प्रशिक्षण मॉड्यूल** : विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों को राज्य स्तर पर तैयार किये गये " विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल"के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना है।

3. **राज्य स्तर पर मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (केआरपी) के प्रशिक्षण** :

प्रत्येक जिले से 4 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (केआरपी) को राज्य स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिन जिलों में दस से अधिक ब्लॉक्स हैं वहां से 5 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। मुख्य संदर्भ व्यक्तियों के रूप में, पूर्व वर्षों में मुख्य संदर्भ व्यक्ति का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षक, डाइट फैक्ल्टी, ब्लॉक आरपी या प्रशिक्षण में दक्षता रखने वाले जिले के किसी अन्य शिक्षक आदि में से नामित किया जा सकता है। जिला परियोजना कार्यालय प्रशिक्षण कार्य में रूचि रखने वाले सक्षम एवं दक्ष प्रशिक्षकों को चयनित कर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भेजें। प्रशिक्षित मुख्य संदर्भ व्यक्तियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण के लिए आने वाले मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को नियमानुसार टीए/डीए देय होगा।

4. **ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण** :

राज्य स्तर पर केआरपी प्रशिक्षण उपरान्त PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर (CRCF) पर एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए संदर्भ व्यक्यिों का प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जायेगा। संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्य में रूचि, अनुभव एवं दक्षता रखने वाले ब्लॉक के 20 शिक्षक/संस्था प्रधानों को सम्मिलित किया जायेगा। संदर्भ व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किये जाने वाले PEEO/Head Teacher/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधानों के अलावा शेष सभी PEEO/ उनके द्वारा नामित Head Teacher/ गतिविधि इन्चार्ज को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जायेगा ताकि प्रशिक्षण के समय वे प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन सही प्रकार से कर सकें एवं आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ व्यक्ति का उत्तरदायित्व भी निभा सकें। प्रशिक्षण के उपरान्त प्रत्येक ब्लॉक कार्यालय इन चिन्हित 20 संदर्भ व्यक्तियों की सूची जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायें। जिला कार्यालय ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिन्हित सूची में से PEEO/शहरी नोडलवार (CRCF) प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार संदर्भ व्यक्ति लगाये।

Rajteachers.in

नोडल संस्था प्रधानों/संदर्भ व्यक्तियों के लिए ब्लॉक स्तर पर आयोज्य प्रशिक्षण का व्यय प्रशिक्षण शाखा द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जाए। यह व्यय विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारिणी समिति सदस्यों के PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोज्य दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2019-20 में निर्धारित बजट में से किया जायेगा। चूंकि संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए अलग से बजट प्रावधान नहीं है।

अतः कुल प्रति व्यक्ति दो दिवस हेतु 500/- रूपये यूनिट कॉस्ट में से 40- रूपये यूनिट कॉस्ट का आवश्यकतानुसार व्यय संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण में किया जाए तथा विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी समिति सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु जिले को आवंटित भौतिक लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण कार्ययोजना तैयार कर प्रति संभागी दो दिवस का 460/- रूपये व्यय किया जाए। जिला परियोजना कार्यालय इस बात का ध्यान रखे कि एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण के लिए जिले को आवंटित बजट से अधिक किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जाए अन्यथा सम्बन्धित से व्यक्तिगत वसूली की जावेगी।

5. **जिला स्तर पर समीक्षा बैठक :**

ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण से पूर्व जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित कर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले समस्त गतिविधियों के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी जावे ताकि ब्लॉक स्तर पर एवं PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर (CRCF) पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण में वे अपना सकारात्मक योगदान दे सकें। समीक्षा बैठक में ब्लॉक स्तर पर आयोजित किये जाने वाले संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्ययोजना भी निम्न प्रपत्र में तैयार करें इसमें राज्य स्तर से प्रशिक्षित मुख्य संदर्भ व्यक्ति को भी आमंत्रित किया जाए। कार्ययोजना की प्रति ब्लॉक कार्यालय को दी जाए तथा एक प्रति परिषद कार्यालय को भी प्रेषित की जाए। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के पश्चात् 10 दिनों के अन्दर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाएँ। ब्लॉक कार्यालय द्वारा संदर्भ व्यक्तियों/PEEO/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण के दिनांक की सूचना समय पर दी जाए।

ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण कार्ययोजना

जिले का नाम : ....

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक पर प्रशिक्षण की दिनांक	प्रशिक्षण हेतु नियुक्त केआरपी का नाम

6. **PEEO/शहरी नोडल विद्यालय विद्यालय स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति :**

जिला परियोजना कार्यालय द्वारा एक ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय से प्रत्येक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी। परन्तु नियुक्त संदर्भ व्यक्ति के किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ब्लॉक कार्यालय से तत्काल आरक्षित संदर्भ व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा ताकि प्रशिक्षण में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर 30 से कम संभागियों के होने पर एक संदर्भ व्यक्ति एवं 30 या 30 से अधिक संभागियों के होने पर दो संदर्भ व्यक्तियों को लगाया जाए। लेकिन एक बैच में 40 से अधिक संभागी ना हो। इससे अधिक संभागी होने पर पृथक् बैच बनाया जाए।

- प्रशिक्षण स्थल पर पदस्थापित PEEO अथवा उनके द्वारा नामित Head Teacher/गतिविधि इन्चार्ज/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधान को प्रशिक्षण में दूसरे संदर्भ व्यक्ति के रूप में कार्य करने पर पृथक से मानदेय का प्रावधान नहीं है।

Rajteachers.in

7. **<u>भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण</u> : –**

- जिले के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–1** पर संलग्न हैं।
- चूंकि, प्रत्येक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण में भाग लेने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या समान नहीं है इसलिए जिला कार्यालय द्वारा वित्तीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए PEEO/शहरी नोडल विद्यालयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जावें।

8. ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी द्वारा PEEO/शहरी नोडल विद्यालय प्रभारी के साथ एक बैठक आयोजित करते हुए प्रशिक्षण हेतु निम्न प्रपत्र में योजना का निर्माण करें :–

एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण कार्य योजना

जिले का नाम :–

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	PEEO /शहरी नोडल विद्यालय का नाम	PEEO/ शहरी नोडल विद्यालय के अधीन प्रावि, उप्रावि की एसएमसी और Composite विद्यालयों की एसडीएमसी की संख्या		PEEO/शहरी नोडल विद्यालय का भौतिक लक्ष्य						PEEO/शहरी नोडल विद्यालय का वित्तीय लक्ष्य		PEEO / शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण की दिनांक	
			SMC	SDMC	प्रा / उप्रावि. प्रशिक्षण में भाग ले रहे SMC के कार्यकारिणी के सदस्य (प्रति विद्यालय 5)	चुने हुए जन प्रतिनिधि (PRI) जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हो (प्रति विद्यालय एक)	PEEO/ शहरी नोडल विद्यालय पर कुल SMC संभागी	Composite School प्रशिक्षण में भाग ले रहे SDMC के कार्यकारिणी के सदस्य (प्रति विद्यालय 5)	चुने हुए जन प्रतिनिधि (PRI) जो विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्य हो (प्रति विद्यालय एक)	PEEO /शहरी नोडल विद्यालय पर कुल SDMC संभागी	SMC सदस्यों की संख्या × रूपये 460	SDMC सदस्यों की संख्या × रूपये 460	SMC	SDMC

हस्ताक्षर

- बिन्दु संख्या 8 के अनुसार जिला स्तर से कार्ययोजना के अंतिमीकरण के बाद चरणबद्ध तरीके से PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण सितम्बर 2019 से अक्टूबर 2019 के मध्य आयोजित किये जायेंगे।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण एक साथ आयोजित न करके चरणों में आयोजित किया जाए ताकि सघन एवं सुगम मॉनिटरिंग की जा सके। **प्रशिक्षण के समस्त चरण 25 अक्टूबर, 2019 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिये जाये।**
- प्रत्येक जिले द्वारा PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण की कार्य योजना निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से कम से कम 10 दिवस पूर्व परिषद मुख्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए।
- कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों एवं एक जनप्रतिनिधि को मिलाकर 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है। यदि किसी विद्यालय परिक्षेत्र के जनप्रतिनिधि अन्य किसी विद्यालय के एसएमसी / एसडीएमसी सदस्य के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं और उस

Rajteachers.in

विद्यालय के एसएमसी/एसडीएमसी में अन्य कोई **जनप्रतिनिधि सदस्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके स्थान पर कार्यकारिणी समिति के ही एक अतिरिक्त सदस्य को जोड़कर** 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए।

- समस्त एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षणों का वित्तीय समायोजन एसएमसी व एसडीएमसी के प्रशिक्षण मद में से समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से कर दिया जावे। किसी भी स्थिति में समायोजन को लम्बित नहीं रखा जावे।
- समय-समय पर विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के कुछ सदस्यों की कार्यकारिणी समिति से सदस्यता का समाप्त होना कई कारणों से संभावित है। जैसे :- बच्चे का अन्तिम कक्षा पास करके निकल जाना, बच्चों का ड्रॉप-आउट हो जाना, बच्चों का विद्यालय परिवर्तन कर देना, अभिभावक का स्थान परिवर्तन हो जाने के कारण बच्चों का विद्यालय छोड़ देना आदि। इसलिए प्रशिक्षण से पूर्व यह अति आवश्यक है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की बैठक बुलाकर रिक्त हुए पदों को विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कर भरा जाए तथा नव निर्वाचित सदस्यों को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाए।

<u>जिला परियोजना कार्यालय के दायित्व</u> :

- टाईम लाइन चार्ट में निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण सम्पन्न करना।
- ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्ययोजना प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 3 दिवस पूर्व एवं PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों के प्रशिक्षण कार्ययोजना प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 5 दिवस पूर्व परिषद को उपलब्ध कराना।
- निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु स्वीकृति, आवश्यक राशि एवं दिशा निर्देश समय रहते PEEO/शहरी नोडल विद्यालय विद्यालय तक पहुँचाना सुनिश्चित करना।
- एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण PEEO/शहरी नोडल पर एक साथ आयोजित करना सुनिश्चित करें।
- विद्यालयों की संख्या के आधार पर ब्लॉकवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित करना।
- प्रशिक्षण हेतु सम्पूर्ण राशि एक साथ जारी नहीं की जाकर PEEO/शहरी नोडल विद्यालय हेतु निर्धारित लक्ष्य की 60 प्रतिशत राशि जारी करना तथा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र/उपस्थिति के आधार पर वास्तविक व्यय की शेष राशि जारी करना।
- जिला कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु राशि सीधे ही PEEO/शहरी नोडल विद्यालय एसएमसी/एसडीएमसी के खाते में जारी करना तथा इसकी सूचना ब्लॉक कार्यालय को भी प्रेषित करना।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण में होने वाले व्यय का निर्धारण संभागियों की संख्या 30 मानकर किया गया है। परन्तु इस संख्या में PEEO/शहरी नोडल विद्यालयवार परिवर्तन संभावित है। अतः संभागियों की संख्या 30 से अधिक होने पर निर्धारित मानदण्डानुसार राशि कम होने की स्थिति में जिला कार्यालय द्वारा बचत वाले PEEO/शहरी नोडल विद्यालय से राशि कमी वाले PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर दी जा सकती है परन्तु जिले का प्रति व्यक्ति औसत व्यय निर्धारित राशि से अधिक न हो।
- संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण एवं एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण का अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवलोकन सुनिश्चित करना।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं उपस्थिति के आधार पर शेष राशि जारी की जाने से पूर्व ब्लॉक कार्यालय से संभागियों के रजिस्ट्रेशन पत्र/उपस्थिति पंजिका, प्रशिक्षण प्रतिवेदन और

Rajteachers.in

ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों की अवलोकन रिपोर्ट और आर.पी. द्वारा प्रमाणित उपस्थिति, फोटो आदि की प्राप्ति के प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करें।

- प्रशिक्षण की शेष राशि जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि आमंत्रित सदस्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के प्रावधान अनुसार गठित विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से ही थे। यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2018-19 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है।
- प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात् 10 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं, प्रतिवेदन एवं फोटो एलबम परिषद मुख्यालय को भिजवाना।
- प्रशिक्षण का भुगतान, विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों की संख्या के अनुपात में ही किया जाए।

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर दो दिवसीय गैर आवासीय
एसएमसी / एसडीएमसी प्रशिक्षण सूचना

जिला :–

प्रपत्र–अ

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	ब्लॉक का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
	एसएमसी सदस्यों के PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1						
	योग					

हस्ताक्षर

जिला :–

प्रपत्र–ब

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	ब्लॉक का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
	एसडीएमसी सदस्यों के PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1						
	योग					

हस्ताक्षर

जिला :–

प्रपत्र–स

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	एसएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEO/ शहरी नोडल विद्यालय को आवंटित भौतिक लक्ष्य	प्रशिक्षण में उपस्थित जन प्रतिनिधियों की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित एचएम/सदस्य शिक्षक एवं पुरस्कृत शिक्षक /शिक्षा शास्त्री की सं0	प्रशिक्षण में उपस्थित कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों की संख्या	कुल	संभागियों का वर्गवार विवरण								कुल		
							सामान्य		ओबीसी		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति				
						(4+5+6)	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
	योग																

हस्ताक्षर

Rajteachers.in

जिला :–

प्रपत्र–द

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEO/ शहरी नोडल विद्यालय को आवंटित भौतिक लक्ष्य	प्रशिक्षण में उपस्थित जन प्रतिनिधियों की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित एचएम/ सदस्य शिक्षक एवं पुरस्कृत शिक्षक /शिक्षा शास्त्री की सं0	प्रशिक्षण में उपस्थित कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों की संख्या	कुल	संभागियों का वर्गवार विवरण								कुल		
							सामान्य		ओबीसी		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति				
						(4+5+6)	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
	योग																

हस्ताक्षर

एसएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण

जिला :–

प्रपत्र – 1

क. स.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में आमंत्रित जनप्रतिनिधियों की सं0	उपस्थित जन प्रतिनिधियों की सं0	उपस्थित जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण						कुल
				जिला पार्षद	नगर पार्षद	पंचायत समिति सदस्य	सरपंच	वार्डपंच	अन्य जनप्रतिनिधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

नोट :– प्रपत्र–स के कॉलम सं0 4 में दर्शाये जनप्रतिनिधियों की संख्या का प्रपत्र–1 में वर्गीकरण कराया गया है।

हस्ताक्षर

एसडीएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण

जिला :–

प्रपत्र – 2

क. स.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में आमंत्रित जनप्रतिनिधियों की सं0	उपस्थित जन प्रतिनिधियों की सं0	उपस्थित जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण						कुल
				जिला पार्षद	नगर पार्षद	पंचायत समिति सदस्य	सरपंच	वार्डपंच	अन्य जनप्रतिनिधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

नोट :– प्रपत्र–द के कॉलम सं0 4 में दर्शाये जनप्रतिनिधियों की संख्या का प्रपत्र–2 में वर्गीकरण कराया गया है।

हस्ताक्षर

Rajteachers.in

एसएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का वर्गीकरण

जिला :— प्रपत्र — 3

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल एसएमसी संभागी	साक्षर संभागियों की संख्या		असाक्षर संभागियों की संख्या		योग	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

एसडीएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का वर्गीकरण

जिला :— प्रपत्र — 4

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल एसडीएमसी संभागी	साक्षर संभागियों की संख्या		असाक्षर संभागियों की संख्या		योग	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

<u>सीबीईओ के दायित्व</u> :

ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन पूर्व सीबीईओ निम्न तैयारियों की कार्यक्रम प्रभारी के माध्यम से समीक्षा करें :—

- संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण की सूचना संभागियों को समय पर देना, प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण उपरान्त चयनित न्यूनतम 30 संदर्भ व्यक्तियों की सूची जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोज्य एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण की कार्ययोजना समय रहते तैयार करके जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- जिला कार्यालय के साथ समन्वय करके PEEO/शहरी नोडल विद्यालयवार संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति करना।
- निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु दिशा निर्देश की PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी द्वारा (संदर्भ व्यक्ति) स्वयं एवं ब्लॉक के अन्य संदर्भ व्यक्तियों एवं अधिकारियों की अवलोकन कार्य योजना तैयार करना तथा तदनुसार प्रशिक्षण का अवलोकन करना।
- प्रशिक्षण अवलोकन के दौरान उपस्थिति पंजिका में सदस्यों की उपस्थिति प्रमाणित करना।
- प्रत्येक प्रशिक्षण का अवलोकन करना, संभागियों की उपस्थिति के प्रमाणीकरण के समय सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागी विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की कार्यकारणी समिति के ही सदस्य हो तथा यह भी

Rajteachers.in

सुनिश्चित करें कि वर्ष 2018–19 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है।

- संदर्भ व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त 10 दिन के अन्दर प्रशिक्षण के फोटोग्राफ्स विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या, प्रशिक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में सूचना एवं फोटोग्राफ्स आवश्यक रूप से जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
- जिला कार्यालय को यू.सी. एवं आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए PEEO/शहरी नोडल विद्यालय प्रशिक्षण की शेष राशि जारी करवाना।

<u>PEEO/शहरी नोडल विद्यालय प्रधानाध्यापक के दायित्व</u> :–

- जिला परियोजना/सीबीईओ कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार करना।
- वर्ष 2018–19 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये कार्यकारिणी के सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए कार्यकारिणी सदस्यों में से 5 सदस्यों एवं एक जनप्रतिनिधि को चिन्हित कर उनकी प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित करना।
- प्रधानाध्यापक PEEO से समन्वय करते हुए चिन्हित/चयनित एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान की सूचना लिखित में उचित माध्यम से कम से कम प्रशिक्षण से 5 दिन पूर्व देना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सभी श्रेणी के सदस्यों यथा–महिलाओं, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अल्पसंख्यकों, शिक्षा से वंचित विशेष वर्ग आदि से प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को समस्त प्रधानाध्यापक PEEO/शहरी नोडल स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक एसएमसी/एसडीएमसी सदस्य एवम् जनप्रतिनिधियों का पंजीकरण प्रपत्र संधारित करना।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना एवं प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण की दिनांक पर PEEO/PEEO द्वारा नामित Head Teacher/ गतिविधि इन्चार्ज शहरी नोडल विद्यालय प्रधानाध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य है एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति की भूमिका का निर्वाह करना।
- प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना यथा–बिल वाउचर, कैश बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलन आदि।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करवाना।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल को विद्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखना ताकि आवश्यकता पड़ने पर एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों द्वारा मॉड्यूल में दी गई जानकारी का उपयोग किया जा सकें।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय यथा–चाय नाश्ता, प्रशिक्षण सामग्री, संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय, संभागियों का किराया, प्रशिक्षण आयोजन हेतु बैठक व्यवस्था, फोटोग्राफ आदि पर निर्धारित राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं करना है।
- प्रशिक्षण समाप्ति के 3 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं, प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ एवं यू.सी. एवं आवश्यक प्रमाण–पत्र बीईईओ कार्यालय को भिजवाना।

Rajteachers.in

- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधान या उनके द्वारा मनोनीत अध्यापक ही व्यवस्थापक का कार्य करेंगे।

व्यय प्रावधान :-

विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति सदस्यों के दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रावधित राशि 500/- रूपये प्रति व्यक्ति दो दिवस में से PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु राशि 460/- रूपये प्रति व्यक्ति औसतन 30 संभागियों हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था निम्न प्रकार की जाए एवं शेष * राशि 1200 रू में से ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण का व्यय किया जाए।

30 संभागियों के लिए प्रावधित राशि = 15000/-

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर प्रशिक्षण–संभागी × दिन × दर

30 × 2 × 230 = 13,800/-

क्र.सं.	विवरण	दिवस	दर प्रतिदिन	संभागी	30 संभागियों पर व्यय
1	भोजन एवं किराये का संभागियों को नकद भुगतान(वास्तविक)	2	140	30	8400
2	जलपान (चाय–नाश्ता)	2	40	30	2400
3	दक्ष प्रशिक्षक मानदेय (प्रत्येक PEEO/ शहरी नोडल विद्यालय पर अधिकतम 2 दक्ष प्रशिक्षक)	2	400	2	1600
4	विविध व्यय, बैठक व्यवस्था, सफाई, पानी, फर्श, दरी, फोटोग्राफी, स्टेशनरी इत्यादि ,	2	550	-	1100
5	व्यवस्थापक को मानदेय	2	150	1	300
	योग				**13800**
	शेष *				**1200**
	महायोग				**15000**

- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों एवं जनप्रतिनिधि को देय नकद भुगतान का बिल निम्न प्रारूप में संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य से प्रमाणित करावें।
- आयोजन हेतु किए गए व्यय का भुगतान अनिवार्य रूप सेचैक अथवा बैंक खाते में किया जावे।

प्रपत्र

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय का नाम :............................ प्रशिक्षण दिनांक :...............

क्र. सं.	विद्यालय प्रबंधन समिति /विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का नाम	उपस्थित सदस्य का नाम	उपस्थित दिनों की संख्या	देय नकद राशि	एसएमसी/ एसडीएमसी सदस्य के हस्ताक्षर	संबंधित एसएमसी/ एसडीएमसी के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणीकरणकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
1						

- प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है।

Rajteachers.in

सामुदायिक गतिशीलता गतिविधि टाईम लाइन चार्ट 2019–20

S.No	Activity	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Oct 19	Nov 19	Dec 19	Jan 20	Feb 20	Mar 20
1	एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEO/शहरी नोडल विद्यालयवार कार्य योजना निर्माण							√					
2	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण							√					
3	संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण							√					
4	एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों का PEEO/शहरी नोडल विद्यालय विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण							√					
5	प्रगति की समीक्षा एवं व्यय समायोजन							√					

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त
स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद्
जयपुर

दिनांक : 5/10/19

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/19–20/ 6427

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव,, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. रक्षित पत्रावली।

5/10/19
(हरभान मीणा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

COMMUNITY MOBILISATION
SMC /PRI Training
(SMC Executive Members and PRI)
Proposed Physical and Financial Target of Districts 2019-20

S. No.	District	Total identified School(according Plan) SMC Training	Total identified (according Plan) SMC Training members (per school*6)	Two Day Training at Nodal Level Target	
				Phy.	Fin. (in lacs)
1	Ajmer	1350	8100	8100	40.500
2	Alwar	2083	12498	12498	62.490
3	Banswara	2510	15060	15060	75.300
4	Baran	1275	7650	7650	38.250
5	Barmer	4135	24810	24810	124.050
6	Bharatpur	1197	7182	7182	35.910
7	Bhilwara	2323	13938	13938	69.690
8	Bikaner	1604	9624	9624	48.120
9	Bundi	979	5874	5874	29.370
10	Chittaurgarh	1413	8478	8478	42.390
11	Churu	915	5490	5490	27.450
12	Dausa	1173	7038	7038	35.190
13	Dhaulpur	873	5238	5238	26.190
14	Dungarpur	2102	12612	12612	63.060
15	Ganganagar	1474	8844	8844	44.220
16	Hanumangarh	737	4422	4422	22.110
17	Jaipur	2734	16404	16404	82.020
18	Jaisalmer	1014	6084	6084	30.420
19	Jalor	1533	9198	9198	45.990
20	Jhalawar	1372	8232	8232	41.160
21	Jhunjhunu	1039	6234	6234	31.170
22	Jodhpur	2873	17238	17238	86.190
23	Karauli	1078	6468	6468	32.340
24	Kota	783	4698	4698	23.490
25	Nagaur	2301	13806	13806	69.030
26	Pali	1347	8082	8082	40.410
27	Pratapgarh	1394	8364	8364	41.820
28	Rajsamand	1400	8400	8400	42.000
29	Sawai Madhopur	769	4614	4614	23.070
30	Sikar	1347	8082	8082	40.410
31	Sirohi	759	4554	4554	22.770
32	Tonk	1123	6738	6738	33.690
33	Udaipur	3531	21180	21180	105.900
	Total	**52539**	**315234**	**315234**	**1576.170**

Rajteachers.in

COMMUNITY MOBILISATION

SDMC Training

Proposed Physical and Financial Target of Districts 2019-20

S. No.	District	Total identified School(according Plan) SDMC Training	Total identified (according Plan) SDMC Training members (per school*6)	Two Day Training at Nodal Level Target	
				Phy.	Fin. (in lacs)
1	Ajmer	494	2964	2964	14.820
2	Alwar	743	4458	4458	22.290
3	Banswara	421	2526	2526	12.630
4	Baran	294	1764	1764	8.820
5	Barmer	593	3558	3558	17.790
6	Bharatpur	523	3138	3138	15.690
7	Bhilwara	544	3264	3264	16.320
8	Bikaner	384	2304	2304	11.520
9	Bundi	264	1584	1584	7.920
10	Chittaurgarh	397	2382	2382	11.910
11	Churu	485	2910	2910	14.550
12	Dausa	360	2160	2160	10.800
13	Dhaulpur	249	1494	1494	7.470
14	Dungarpur	370	2220	2220	11.100
15	Ganganagar	451	2706	2706	13.530
16	Hanumangarh	335	2010	2010	10.050
17	Jaipur	915	5490	5490	27.450
18	Jaisalmer	176	1056	1056	5.280
19	Jalor	351	2106	2106	10.530
20	Jhalawar	320	1920	1920	9.600
21	Jhunjhunu	496	2976	2976	14.880
22	Jodhpur	604	3624	3624	18.120
23	Karauli	309	1854	1854	9.270
24	Kota	303	1818	1818	9.090
25	Nagaur	690	4140	4140	20.700
26	Pali	468	2808	2808	14.040
27	Pratapgarh	186	1116	1116	5.580
28	Rajsamand	290	1740	1740	8.700
29	Sawai Madhopur	292	1752	1752	8.760
30	Sikar	584	3504	3504	17.520
31	Sirohi	217	1302	1302	6.510
32	Tonk	321	1926	1926	9.630
33	Udaipur	673	4038	4038	20.190
Total		**14102**	**84612**	**84612**	**423.060**

Rajteachers.in

एसएमसी/एसडीएमसी सदस्य प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र 2019–20

1. अवलोकनकर्ता का नाम :– .... पद ....
2. पदस्थापन स्थान :– .... मो.न. ....
3. अवलोकन की तिथि एवं समय ....
4. प्रशिक्षण आयोजक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय विद्यालय का नाम :– ....
5. PEEO/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधान का नाम .... मो. न. ....
6. PEEO/शहरी नोडल विद्यालय के अधीन विद्यालयों की संख्या :– ....
7. प्रशिक्षण स्थल :– .... ब्लॉक :– ....जिला..............................
8. प्रशिक्षण दिनांक :– ....

7 प्रशिक्षण देने वाले संदर्भ व्यक्ति :–

(अ) नाम :– .... पद :– ....पदस्थापन स्थान :–.....................मो.न. ....

(ब) नाम :– .... पद :– ....पदस्थापन स्थान :–.....................मो.न. ....

8 कुल पंजीकृत संभागी :–. पुरूष ....महिला...................योग.......................

9 प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित संभागीगण :–

(अ) जनप्रतिनिधि (PRI)::– पुरूष ....महिला ....योग ....

(ब) अभिभावक सदस्य ::– पुरूष ....महिला ....योग ....

(स) मनोनीत सदस्य :– पुरूष ....महिला ....योग ....

(द) संस्था प्रधान (सचिव) पुरूष ....महिला ....योग ....

(य) शिक्षक सदस्य :– पुरूष ....महिला ....योग ....

योग :– पुरूष ....महिला ....योग ....

10 संभागियों की बैठक व्यवस्था :– ....

11. मॉड्यूल की उपलब्धता :– ....

12 अवलोकन के समय मॉड्यूल के किस विषय पर चर्चा हो रही थी :– ....

13 संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण देने का स्तर :– ....

14 प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे संभागियों के विचार :–

----

15. प्रशिक्षण व्यवस्था सुधारने में तत्काल दिये गये निर्देश :–

----

16 प्रशिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में अवलोकनकर्ता की टिप्पणी/सुझाव :–

हस्ताक्षर अवलोकनकर्ता
दिनांक :–

प्रशिक्षण आयोजक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय प्रभारी
के हस्ताक्षर (मय सील)

Rajteachers.in